न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....627/2023

सरकार बनाम साकिब आदि

अंतर्गत धारा– 498A,304B वैकल्पिक 306 भा०द०सं०एवं धारा–3/4 दहेज प्रति०अधि०

थाना–लोनी गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–246/2023

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण साकिब, संजीदा एवं इकबाल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 08–03–2023 को समय रात्रि 11.00 से 11.59 बजे के मध्य स्थान जैन कालोनी अशोक विहार अंतर्गत सीमा थाना लोनी जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण(जो क्रमशः मृतका के पति, सास एवं जेठ हैं) ने वादी की पुत्री मृतका नूरीन के साथ विवाह के सात वर्ष के अंदर और मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मॉग के कारण उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा असामान्य परिस्थितियों में उसकी दहेज हत्या कारित की। तद्नुसार आपके द्वारा किया गया कृत्य दहेज हत्या की परिधि में आता है जो भा0 द 0 सं0 की धारा–304 बी. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

वैकल्पिक आरोप

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री नूरीन को मृत्यु से पूर्व इस हद तक मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर आत्म–हत्या हेतु दुष्प्रेरित किया गया, कि आपके द्वारा की गयी प्रताड़ना से तंग आकर वादी की पुत्री द्वारा फाँसी लगाकर आत्म–हत्या कारित कर ली गयी। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–306 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि वादी मुकदमा की पुत्री नूरीन की शादी घटना से करीब पाँच वर्ष पूर्व आप अभियुक्त साकिब के साथ सन् 2018 में हुई थी। शादी के बाद से आप अभियुक्तगण द्वारा मृतका नूरीन से समय–समय पर अतिरिक्त दहेज की मॉग की गयी तथा उक्त माँग की पूर्ति हेतु उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–498 ए. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि विवाह के पश्चात् विभिन्न समय पर व उपरोक्त स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी की पुत्री नूरीन व उसके मायके वालों से अतिरिक्त दहेज की माँग की गयी व उन्हें दहेज के लिए दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार आपने धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांकः27–03–2024

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांकः27–03–2024

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2024.04.06 13:15:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court